

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-141/एस0एम0-48/पांच-8-2016-टी0(111)/2016

लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 कासिम हुदा खान, चिकित्साधिकारी, प्राथ0स्वा0 केन्द्र, हल्दीटीकर, रायबरेली को स्वानुरोध पर स्थानान्तरित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद के अधीन एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 कासिम हुदा खान, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

राम नगीना मौर्य
संयुक्त सचिव।

संख्या-141/एस0एम0-48(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ/इलाहाबाद मण्डल।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली/इलाहाबाद।
- 5- कोषाधिकारी, रायबरेली/इलाहाबाद।
- 6- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 7- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-140/एस0एम0-34/पांच-8-2016-टी(95)/2016

लखनऊ: दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 रीना वर्मा चिकित्साधिकारी, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली को जनहित में स्थानान्तरित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के अधीन में एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 रीना वर्मा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

राम नगीना मौर्य

संयुक्त सचिव।

संख्या-140/एस0एम0-34 (1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली/फैजाबाद मण्डल।
- 3- मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली/बाराबंकी।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली/बाराबंकी ।
- 6- संबंधित चिकित्साधिकारी ।
- 7- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।